

आदेश

श्री प्रिंस शर्मा, सहायक को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: ए3-2017/55696-701 दिनांक 03.05.2017 की पालना करने हेतु आज दिनांक 05.05.2017 बाद दोपहर कार्यभार मुक्त किया जाता है और कर्मचारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपनी उपस्थिति रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पानीपत के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

श्री मदन लाल, सहायक (शामलात शाखा) को प्रशासन-1 शाखा में एए1 की सीट का कार्य उसके कार्य के अतिरिक्त तौर पर दिया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
05.05.2017

अशोक कुमार मीणा
निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्रमांक एए4-2017/55682-086 दिनांक 5.5.2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पानीपत।
2. उप-निदेशक पंचायत-11
3. श्री प्रिंस शर्मा, सहायक।
4. श्री मदन लाल, सहायक।
5. ए0ई0/आई0टी0 सेल।

Handwritten signature
सहायक निदेशक-5/5/17

कृते: निदेशक पंचायत विकास एवं विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Handwritten signature
11/5/17

Handwritten signature

Handwritten signature
11/5/17

Handwritten signature